खण्डः 2, अंकः 7 जुलाई 2019

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

तीन तलाक व मुस्लिम समाज सुधार

डी.सी.आर.सी.
विकासशील राज्य शोध केन्द्र
दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2019

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

मुख्य कथ्यः तीन तलाक व मुस्लिम समाज सुधार

अनुक्रमिका i

संपादकीय ii-iii

1. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019ः सामाजिक सुधार एवं प्रावधान – राम किशोर 1–4
2. मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियमः महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम – सृष्टि 5–6
3. तलाक–ए–बिद्दतः धार्मिक मान्यता बनाम संवैधानिक नैतिकता – जया ओझा 7–9
4. अस्मिता, अल्पसंख्यकता और अशिक्षिततााः मुस्लिम समुदाय में परिवर्तन के अवरोधक – गरिमा शर्मा 10–12
5. तीन तलाकः एक राजनीतिक दृष्टिकोण – रजनी 13–16
6. तीन तलाक विधायन एवं मुस्लिम महिला सशक्तिकरण – राखी 17–19
7. तीन तलाक पर विभिन्न वैचारिक पक्षः एक प्रतिक्रिया – पंकज 20–23
8. मुस्लिम समाज में महिलाएंः दशा एवं दिशा – निशा कुमारी 24–26
9. संपत्ति अधिकार एवं निजी कानूनों के मध्य महिला सशक्तिकरण – ज्योति भारती 27–30
10. तीन तलाक व मुस्लिम समाज सुधार – अमृता सोनी 31–33

संपादकीय

विकासशील राज्य शोध केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के बारहवें अंक को प्रकाशित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों द्वारा समसामयिक विषय पर अपने सामूहिक लेखों द्वारा शोध वास्तविकताओं के प्रकटीकरण के माध्यम से हिन्दी भाषा को प्रचारित, प्रसारित एवं प्रमाणित करने की हमारी यह पहल संश्लेषण के रूप में प्रस्तुत हो रही है। संश्लेषण का यह बारहवां अंक सभी पाठकों को प्रेषित किया जा रहा है।

वर्ष 2019 का जुलाई माह 17वीं लोक सभा चुनाव के पश्चात नवगठित संसद के प्रथम सत्र में विभिन्न वाद–विषयों एवं वाद–विमर्शों पर केन्द्रित रहा। इस सत्र में विभिन्न वाद–विषयों पर गहन शास्त्रार्थ द्वारा सरकार व विपक्ष के मध्य विरोध एवं गतिरोध देखने को मिला। भाजपा नेतृत्व की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने मुस्लिम समाज सुधार की दृष्टि से त्वरित तीन तलाक निषेध प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पारित करा कर इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए नागरिक अपराध की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया है।

स्वातन्त्र्योत्तर भारत के सात दशकों के इतिहास में मुस्लिम समाज में तीन तलाक विषय पर एक संवैध ाानिक कानून बना कर मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरूषों के समकक्ष समानता एवं न्याय प्रदान करने की इस क्रांतिकारी पहल ने एक बार पुनः शाहबानो केस पुर्नजीवित करने का प्रयास किया। जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोक सभा चुनाव के समय मुस्लिम महिलाओं को अपने दिए गये वचन को कार्यान्वित करने का प्रयास किया, वहीं इस निर्णय ने अकादमिक एवं राजनीतिक मंच पर एक नए राजनीति विमर्श को जन्म दिया जो न केवल शरियत कानून की अंसगतियों पर एक प्रहार है अपितु 'एक भारत, एक संविधान एवं एक कानून' सहित संपूर्ण राष्ट्र में समान आचार संहिता लाने का प्रयास है।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'तीन तलाक व मुस्लिम समाज सुधार' विषय पर लेख आमंत्रित किये। दस उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख न केवल तीन तलाक के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत कर रहे हैं अपितु 21वीं शताब्दी के परिवर्तनीय भारत के मुस्लिम समाज में सुधार संबंधी नए विकल्पों को खोजने का भी प्रयास कर रहे हैं।

संश्लेषण के बारहवें अंक के समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित आधारभूत बिंदुओं को भी प्रकट करते हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक हैं तथा सम्पादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को संपादन के माध्यम से किसी भी प्रकार प्रभावित व परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। व्यक्तिगत लेखों में प्रस्तुत तथ्य एवं मत लेखकों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदर्शित करते हैं।

संश्लेषण के बारहवें अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम वर्ष 2019 के अगस्त माह के अपने तेरहवें समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

मंगलवार, 25 अगस्त 2019

1

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019: सामाजिक सुधार एवं प्रावधान

राम किशोर
शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मानव समाज को एक संरचना के रूप में स्वीकार किया गया है। इस संरचना का निर्माण विभिन्न संस्थाओं तथा इकाइयों के अर्न्तसम्बन्धों के द्वारा होता है। जब संरचना की सभी इकाईयाँ अपेक्षा के अनुसार कार्य करती रहती हैं तो संरचना का सन्तुलन बना रहता है। लेकिन जब संरचना का कोई भाग अपेक्षा के विपरीत कार्य करे तो असन्तुलन की दशा उत्पन्न होने लगती है। यहीं से समस्या की उत्पत्ति होती है तथा इसे हम असामान्य दशा कहते हैं।

अतः इस प्रकार की स्थिति असहनीय हो जाती है और इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इन्हीं सामाजिक समस्याओं में महिलाओं की समस्या सर्वोपरि होती है चाहे वह किसी भी धर्म, जाति अथवा समुदाय आदि की क्यों न हों। वर्तमान युग महिला सशक्तिकरण का युग है परन्तु फिर भी कहीं न कहीं पुरूष वर्ग की तुलना में महिला वर्ग कई प्रकार की यातनाओं का शिकार हो रही हैं। इन्हीं समस्याओं के बीच 'तीन तलाक' की समस्या से मुस्लिम महिलाओं को गुजरना पड़ रहा हैं।

तीन तलाक

इस्लाम धर्म में, विवाह जिसे निकाह कहा जाता है एक पुरूष एवं स्त्री की अपनी स्वतंत्रता से एक–दूसरे के साथ पति एवं पत्नि के रूप में रहने का निर्णय है। इसके तीन नियम हैं प्रथम, पुरूष वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की शपथ ले। दूसरी, एक नियमित राशि जो आपसी बातचीत से तय हो, मेहर के रूप में महिला को दे। तीसरी, इस नये रिश्ते की समाज में घोषणा हो जाए।

तीन तलाक मुस्लिम समाज में तलाक का ऐसा साधन है, जिससे कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को केवल तीन बार तलाक कहकर अपने विवाहित जीवन को तोड़ सकता है। इस्लाम में तलाक की एक विधि बताई गई है और इस प्रकिया से होने वाले तलाक स्थिर होते हैं, जिसके बाद विवाह संबंध टूट जाता है। तलाक भी तीन प्रकार का होता है।

(1) तलाक–ए–अहसन (2) तलाक–ए–हसन (3) तलाक–ए–बिददत

तीन तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस्लाम धर्म में प्रचलित 1400 वर्ष पुरानी तीन तलाक की प्रथा पर 22 अगस्त 2017 को अपना निर्णय सुनाया। इस केस की सुनवाई करते हुए पांच जजों की बैंच बनाई गई, जिसमे मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, न्यायाधीश आर.एफ. नरिमन, न्यायाधीश यू.यू. ललित एवं न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर शामिल थें। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस ऐतिहासिक निर्णय में 3:2 के बहुमत से तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

तीन तलाक पर निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया कि एक बार में तीन तलाक देना असंवैधानिक है। यह मुस्लिम पुरूषों को मनमाने रूप से तलाक देने की शक्ति प्रदान करता है और यह समानता के अधिकार का उल्लघंन है इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार में तीन तलाक पर छः महीने के लिए रोक लगाते हुए सरकार से कहा है कि वह तीन तलाक पर कानून बनाये। यदि सरकार द्वारा छः महीने में कानून नहीं बनाया जाता है तो तीन तलाक पर न्यायालय का आदेश जारी रहेगा।

विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 21 जून, 2019 को लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 पेश किया। यह विधेयक 21 फरवरी, 2019 को जारी अध्यादेश का स्थान लेता है।

विधेयक तलाक कहने को, जिसमें लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप शामिल हैं, को कानूनी रूप से अमान्य और अवैधानिक बनाता है। विधेयक के अनुसार तलाक से अभिप्राय है, तलाक–ए–बिद्दत या किसी भी दूसरी तरह का तलाक, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को इंस्टेंट या इररिवोकेबल (जिसे पलटा न जा सके) तलाक दे देता है।

तीन तलाक विधेयक लोकसभा में 2017 में पारित हो चुका था, लेकिन तब राज्यसभा में इसे बहुमत नही मिला था जिस कारण से यह बिल पास नहीं हो सका था। 2019 में पुनः मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे एक बार फिर मानसून सत्र में राज्यसभा में सबके सामने रखा गया। इस बार इस विधेयक के पक्ष में 99 मत आये जबकि इसके विरोध में 84 मत आये। इस तरह तीन तलाक विधेयक अब संसद के दोनों सदनों में पास हो गया है।

तीन तलाक विधेयक को पहले लोकसभा से पारित किया और फिर राज्यसभा से पारित किया गया। संसद से पारित होने के बाद मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक–2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 31 जुलाई 2019 को अपनी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक–2019 पूरी तरह अधिनियम बन चुका है। इसको सरकारी गजट में भी प्रकाशित किया जा चुका है।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम–2019 के प्रावधान

- अपराध और दंडः कानून तलाक कहने को संज्ञेय अपराध बनाता है जिसके परिणामस्वरूप तीन साल की कैद एवं जुर्माने की सजा हो सकता है (एक संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है)। अपराध संज्ञेय होगा, अगर अपराध से संबंधित सूचनाः (1) विवाहित महिला (जिसे तीन तलाक कहा गया है), या (2) उससे रक्त या वैवाहिक संबंध से जुड़े किसी व्यक्ति ने दी हो।

- कानून में प्रावधान है कि दण्डाधिकारी आरोपी को जमानत दे सकता है। महिला (जिसे तीन तलाक कहा गया है) की सुनवाई के बाद या अगर दण्डाधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि जमानत देने के पर्याप्त आधार हैं, तभी आरोपी को जमानत दी जा सकती है।

- महिला (जिसे तीन तलाक कहा गया है) के अनुरोध पर दण्डाधिकारी द्वारा अपराध को शमनीय माना जा सकता है। शमनीय या कम्पाउंडिंग का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्ष कानूनी कार्यवाहियों को रोकने और विवाद को निपटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। कम्पाउंडिंग के नियम और शर्तों को दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

- भत्ता, जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया गया है, वह अपने पति से अपने और खुद पर निर्भर बच्चों के लिए गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अधिकृत है। भत्ते की राशि दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

- अवयस्क बच्चों की कस्टडी, जिस मुस्लिम महिला को इस प्रकार तलाक दिया गया है, वह अपने अवयस्क बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए अधिकृत है। कस्टडी का निर्धारण दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

21 वीं सदी की महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कदम से कदम मिला के उनका हाथ बंटा रहीं हैं। यहाँ तक कि सेना में भी महिलाएँ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारतीय संविधान में पुरूषों के साथ ही महिलाओं को भी समानता और पूरे सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने का अधिकार है। समाज मे मौजूद इस तरह की कुप्रथाओं से महिलाओं के सम्मान को ठेस पँहुचती है।

भारत में भले ही तीन तलाक को लेकर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम–2019 काफी समय के पश्चात बना हो लेकिन विश्व के अन्य देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगनिस्तान और श्रीलंका समेत 22 देश तीन तलाक कब का खत्म कर चुके हैं। दूसरी ओर भारत में मुस्लिम संगठन शरीयत का हवाला देकर तीन तलाक को बनाए रखने के लिए हस्ताक्षर अभियान से लेकर अन्य जोड़तोड़ में लग गए हैं।

अतः यह अधिनियम महिला सशक्तीकरण से संबंधित है मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ ने औरतों को लेकर एक नज्म कही थी जिसके बोल थे कि– 'बोल कि लब आजाद है तेरे बोल जुबाँ अब तक तेरी है' यह एक हद तक सच भी है आज मुस्लिम महिलाओं मे चेतना और शिक्षा का स्तर बढ़ा है वे धर्म के नाम पर शोषण के कुचक्र को समझने लगी है। अधिकारों और सामाजिक सुधारों के लिये लड़ने का साहस उनमें आ गया है। तीन तलाक पर बना (मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधि ानियम–2019) अधिनियम एक कानूनी सुधार है जो सामाजिक सुधारों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है एवं कोई भी सामाजिक सुधार एक व्यापक प्रक्रिया से होकर गुज़रने के बाद ही होता है।

♦♦♦♦♦

2

मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियमः
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम

सृष्टि
शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

संसद के दोनों सदनों से तीन तलाक अर्थात 'मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण विधेयक' का पारित होना एक ऐतिहासिक घटना है। भारत जैसे देश में जहां राजनीतिक दलों की मुख्य चिंता वोट बैंक की होती थी, वहाँ ऐसे प्रगतिशील न्यायपूर्ण कानून बनाने की कुछ वर्ष पूर्व में कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। यही देश है जहां एक वृद्ध महिला शाह बानों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए गुजारा भत्ते के आदेश को संसद ने एक समुदाय के दबाव में आकर पलट दिया था। स्मरणीय है कि नेहरू सरकार ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956 बनाया तभी से एक वर्ग को यह दुख रहा कि मुस्लिमों को लैंगिक समानता संबंधी सुधार प्रक्रिया से बाहर क्यों रखा गया है?

1956 में जब राजीव सरकार ने शाहबानों मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाह बानों के पक्ष में दिए गए निर्णय को कानून बनाकर पलटा और गुजारा भत्ता देने से उन्हें मना कर दिया, तब पीड़ा और गहरा गई। शाहबानों जिनका विवाह 1932 में हुआ था, इंदौर के धनाढ्य वकील की पत्नी थी। वह 62 वर्ष की आयु में गुजारा भत्ता दिलाने की याचिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय पहुंची थी। हालांकि यह प्रासंगिक तथ्य है कि शाहबानों को तीन तलाक इंदौर के न्यायालय में ही दिया गया था। मामले कि सुनवाई कर रहे न्यायधीश के यह कहने पर कि 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' के अतर्गत भी शाह बानों गुजारा भत्ते की अधिकारी थी। इस पर उनके पति ने तीन बार तलाक बोला था।

दो वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया था कि एक साथ तीन तलाक गैर इस्लामी, गैर कानूनी एंव संविधान विरोधी है अर्थात एक साथ तीन तलाक कहने भर से तलाक नहीं होगा। इसके बावजूद भी तीन तलाक होते रहे। पीड़ित महिलाएं पुलिस के पास जाती थी, तथापि ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत पुलिस कार्यवाही कर सके। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मूर्त रूप देने एंव इस कुप्रथा का अंत करने के लिए कड़े कानून बनाना उचित कहा जा सकता है। अब पुरुषवादी अहं से ग्रस्त लोग अपनी मानसिक कुंठाओ से महिलाओं को अपने पीछे चलाने का प्रयास नहीं करेंगे और करेंगे तो कानून उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

वास्तव में महिलाओं को न्याय पाने का बड़ा आधार मिल गया है। अतः तीन तलाक अधिनियम मुस्लिम समाज के अंतर्गत समाज सुधार का एक कानूनी कदम है। किन्तु यह भी वास्तविकता है कि कोई भी सुधार समाज के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। साहसी महिलाएं तो अन्याय के विरुद्ध खड़ी

होगी, परंतु सामान्य महिलाएं परिवार एवं मज़हब के तहत ही समस्या के समाधान का प्रयास करेंगी। अतः कानून बनने मात्र से ही महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता। अर्थात इसे केवल कानून के माध्यम से दूर नहीं किया जा सकता बल्कि यह समाज द्वारा अपने अंदर सुधार किए जाने से ही संभव है। ऐसे किसी भी समाज सुधार कानून के दुरुपयोग की भी संभावना रहती है। इस कानून में भी हो सकती है। इसके लिए भी सचेत होने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत पुलिस न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस प्रकार हिंदुओं में दहेज कानून का अधिकतर दुरुपयोग हुआ है, और इस प्रकार समाज सुधार का यह कानून सफल नहीं हुआ। जिस तरह मुस्लिम समाज से ही महिलाएँ खुलकर सामने आई है, उससे समाज के दृष्टिकोण का पता चलता है। एस प्रक्रिया को और भी तेज करना होगा। परंतु यह शुरुआत ही अपने आप में क्रांति सी है क्योंकि यही इस प्रथा के अंत का प्रस्थान बिन्दु है।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक विधेयक को राज्यसभा में स्थानांतरित करते हुए कहा था कि यह मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य लिंग की गरिमा एंव समानता को सुनिश्चित करना है। यह महिलाओं के न्याय, समानता, सम्मान एंव सशक्तिकरण के लिए है। साथ ही सभापति एम. वैंकेया नायडू ने भी कहा था की मुस्लिम महिला विधेयक 2019 के तहत तत्काल तीन तलाक के माध्यम से तलाक देना अवैध होगा। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने तीन तलाक विधेयक को महिलाओं के सामाजिक, वित्तीय एंव संवैधानिक सशक्तिकरण माना।

यह वास्तविक तथ्य है कि तीन तलाक विधेयक का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मुख्य कदम है। परंतु महिलाओं की समानता, सम्मान एंव सशक्तिकरण को मात्र विवाह एंव तलाक के संबंध में ही परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि शिक्षा व आजीविका भी सशक्तिकरण का एक वास्तविक माध्यम हो सकते है।

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत के 180 मिलियन मुसलमानों में से 42.7 प्रतिशत निरक्षर है व सभी मुस्लिम महिलाओं में से 48 प्रतिशत निरक्षर है, जो राष्ट्रीय औसत 44 प्रतिशत से अधिक है। जबकि हिंदुओं के लिए 63.2 प्रतिशत की तुलना में विधालयों के मुस्लिम लड़कियों की नामांकन दर 40.6 प्रतिशत है व उच्च शिक्षा के तहत मात्र 4.4 प्रतिशत है।

अतः राजनेता जो मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा के समर्थन में प्रखर रहें है, उन्हें सशक्तिकरण के अन्य विषयों को भी देखना चाहिए। तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं की एक शानदार जीत है अपितु यह एकमात्र ऐसा नहीं है। जिसकी आवश्यकता है।

♦♦♦♦♦

3

तलाक़–ए–बिद्दत्: धार्मिक मान्यता बनाम संवैधानिक नैतिकता

जया ओझा
शोधार्थी, राजनीतिक विभाग विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तीन तलाक़ अर्थात तलाक़–ए–बिद्दत् की कुप्रथा से मुस्लिम महिलाएं वर्षों तक पीड़ित रहीं हैं। तीन तलाक़ केवल मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का विषय नहीं है, अपितु यह धार्मिक मान्यता बनाम संवैधानिक सर्वोच्चता का भी मुद्दा है। प्रश्न यह है कि समानता का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार तथा धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? यह एक गंभीर विषय है जो धार्मिक मान्यता तथा संवैधानिक नैतिकता के बीच द्वंद उत्पन्न करता है। हमारे समाज में आज भी महिलाएं अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित प्रतीत होती हैं, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मुस्लिम समुदाय में व्याप्त तलाक़–ए–बिददत अर्थात तीन तलाक़ नामक कुरीति है। तीन तलाक़ मुस्लिम निजी क़ानूनों के तहत वैवाहिक संबंध विच्छेद की एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत एक साथ तीन बार तलाक़ बोलकर विवाह तोड़ने का अधिकार केवल मुस्लिम पुरुषों को प्राप्त हैं महिलाओं को नहीं। वैसे तो तलाक़ के कई प्रकार है परंतु मुस्लिम समुदाय में मुख्यतः तलाक़ के तीन प्रकार प्रचलित हैं–

1) तलाक़ (पति द्वारा)– इसके अंतर्गत *तलाक़–ए–सुन्नत* तथा *तलाक़–ए–बिददत्* (तीन तलाक़) आता है। तलाक़–ए–सुन्नत में दो प्रकार के तलाक़ निहित हैं–

* तलाक़–ए–अहसन – इसके अंतर्गत तलाक़ की घोषणा के पश्चात तीन महीने तक दंपति अलग रहते हैं, इस अवधि को *'इद्दत* कहा जाता है। इद्दत की अवधि समाप्त होने तक यदि दंपति के बीच समझौता नहीं होता तो तलाक़ स्वीकृत हो जाता है। यह तलाक़ सबसे स्वीकार्य माना जाता है।

* तलाक़–ए–हसन – इसके अंतर्गत तलाक़ की पहली घोषणा के बाद एक महीने का समय होता है, तथा दूसरी घोषणा के बाद पुनः एक महीने का समय दिया जाता है परंतु तीसरी घोषणा से पहले दंपति के बीच समझौता होना आवश्यक है।

2) मुबारात– यह दंपति के आपसी सहमति पर आधारित है।

3) खुला (पत्नी द्वारा)

समान्यतः तलाक़ का अर्थ 'परित्याग करना' होता है परंतु मुस्लिम समुदाय में यह परित्याग कुछ अनोखा ही है तलाक़–ए–**बिद्दत** के नाम पर तीन बार तलाक़ शब्द के उच्चारण से कोई भी पुरुष अपने विवाह को तोड़ सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार तलाक़–ए–**बिद्दत** मुस्लिम समाज में मान्य नहीं हैं, मुट्ठी भर लोग इसका प्रयोग करते हैं परंतु विश्व में ऐसे 22 से अधिक मुस्लिम बहुल देश हैं जहां तलाक़–ए–**बिद्दत** को गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा पंथनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक देश भारत को मुस्लिम महिलाओं को इससे मुक्ति दिलाने में बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण रहे, जैसे– मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अड़ियल व्यवहार, उलेमाओं द्वारा शरीयत की मनमानी व्याख्या, मुस्लिम समाज का पिछड़ापन, पित्र मानसिकता से ग्रसित भारतीय समाज, समान नागरिक संहिता का आभाव, मुद्दे का राजनीतिकरण तथा राजनैतिक इच्छाशक्ति का आभाव। इन सभी कारणों से भारतीय समाज में तीन तलाक़ जैसी कुप्रथा बनी रही।

तीन तलाक़ से संबन्धित पहली याचिका 1981 में शाहबानो द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया। इंदौर में रहने वाली महिला शाहबानो को 1978 में उनके पति द्वारा तीन तलाक़ दे दिया गया तथा उन्हें घर से निकाल दिया। उस समय वह 5 बच्चों की माँ थी, शाहबानो के पति ने गुजारा भत्ता देने से भी मना कर दिया परिणामस्वरूप उन्हें न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–125 का निर्णय दिया गया जिसके माध्यम से शाहबानो को गुजाराभत्ता प्राप्त करने का अधिकार मिला। परंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहबानो के पक्ष में निर्णयों के विरुद्ध देश भर में आंदोलन छेड़ दिया, देश के अधिकतम मुस्लिम संगठनों का कहना था कि न्यायालय उनके पारिवारिक तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके उनके अधिकारों का हनन करने का प्रयास कर रहा है। इसके पश्चात 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने न्यायालय के निर्णय को नकारते हुए एक कानून **"The Muslim Women Protection Of Right Act 1986"** का निर्माण किया जिसके अंतर्गत केवल 'इद्दत' के समय गुजाराभत्ता मांगने की अनुमति दी गई। इस प्रकार शाहबानो केस जीतकर भी हार गई।

2016 में शायरा बानो ने तीन तलाक के विरोध में न्यायालय में याचिका दायर की, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे अन्य याचिकाओं को भी इसके अंतर्गत समाहित कर लिया जिसके अतर्गत आफ़रीन रेहमान, गुलशन परवीन, तथा इशरत जहां का नाम सम्मिलित है। याचिकाकार्ता शायरा बानो के वकील अमित चड्ढा द्वारा यह कहा गया कि धार्मिक दर्शनशास्त्र के अंतर्गत तलाक़–ए–**बिद्दत** को पाप एवं घृणित कृत्य कहा गया है, इसे धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार के तहत संरक्षित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार 22 अगस्त 2017 को तीन तलाक़ के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय में 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने निर्णय सुनाया। 5 में से 3 न्यायाधीश– जस्टिस कुरियन जोसफ, जस्टिस नरीमन तथा जस्टिस यू.यू. ललित ने तीन तलाक़ को असंवैधानिक मानते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 21 का उल्लंघन करार दिया। सर्वोच्च न्यायालय में एक तरफ समानता तथा गौरवपूर्ण जीवन जीने का तर्क दिया गया, वहीं दूसरी तरफ धार्मिक परम्पराओं से छेड़छाड़ ना करने का आग्रह किया गया। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार

पर भेदभाव का अंत तथा अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। जबकि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतन्त्रता तथा अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतन्त्रता प्रदान कराता है। यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या दोनों मौलिक अधिकारों में विरोधाभास है? तीन तलाक़ एक ऐसा जटिल मुद्दा है जो महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान से जुड़ा हुआ है, हमारा संविधान कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है, जबकि तीन तलाक़ प्रथा मुस्लिम पुरूषों के लिए एकतरफा व मनमाने अधिकार की व्यवस्था करता है। संवैधानिक नैतिकता का स्वरूप यह है कि चाहे वह परंपरा धार्मिक हो या गैर–धार्मिक या फिर वह कितने ही वर्षों से क्यों न चली आ रही हो, यदि वह समानता व गौरवपूर्ण जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध है तो उसे वैधानिक रूप से बदलना अत्यंत आवश्यक है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अनेक मुस्लिम संगठन तथा अन्य मौलाना मानते हैं कि तलाक़–ए–**बिद्दत** उनकी मज़हबी व्यवस्था का अंत है एवं इसे परिवर्तित या निरस्त करना उनके धार्मिक मामले में दखल देना होगा, जबकि भारतीय संविधान ने सभी समुदायों को धार्मिक स्वायत्तता की प्रत्याभूति दे रखी है। इसलिए तीन तलाक़ को धर्म के परिप्रेक्ष्य से नही अपितु लैंगिक भेदभाव के दृष्टिकोण से देखना अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक मुद्दों में न्यायालय का हस्तक्षेप अनावश्यक है परंतु जब धार्मिक अधिकार द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किया जाने लगे तब न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है, जिससे संवैधानिक सर्वोच्चता बनी रहे। इस देश का संविधान सबसे ऊपर है ना कि किसी स्वयंभू संगठन द्वारा की गई कोई धार्मिक व्याख्या। अंततः तलाक़–ए–**बिद्दत** को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया। राज्य सभा से 30 जुलाई 2019 को यह विधेयक 99 मतों द्वारा पारित किया गया जिसके अंतर्गत तीन तलाक़ को संज्ञेय अपराध बनाया गया। इसने महिलाओं की सशक्तिकरण का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है।

♦♦♦♦♦

4

अस्मिता, अल्पसंख्यकता और अशिक्षितताः मुस्लिम समुदाय में परिवर्तन के अवरोधक

गरिमा शर्मा
शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक एवम धार्मिक समूहों की बहुलता को आदि काल से ही अवलोकित किया जा सकता है। आधुनिकीकरण एवम् बाजारीकरण ने लोगों के रहन–सहन को काफी हद तक प्रभावित किया है जिसका प्रभाव सामुदायिक स्तर पर भी उभर कर आया है। परन्तु यह परिवर्तन जितना सकारात्मक होना चाहिए था उतना सामाजिक स्तर पर परिलक्षित नहीँ हो पाया है। मुस्लिम समुदाय स्वतंत्रता उपरांत से ही भारतीय समाज का अभिन्न भाग रहा है जिसकी विकास की दर भी अन्य समूहों की भाँति ही होनी चाहिए थी। यद्यपि सामाजिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक पक्ष पर यह प्रगतिशीलता उपेक्षित देखी गयी है, जिसके पीछे सामुदायिक एवम् राजनीतिक दोनों कारक जिम्मेदार है जिन्हें तीन पक्षों पर अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है– जिसमें अस्मिता, अल्पसंख्यकता और अशिक्षितता सम्मिलित है।

बाजारीकरण के काल में अस्मिता ने राजनीति के अंतर्गत एक विशिष्ट स्थान का निर्माण कर लिया है। वैश्विक स्तर पर यदि देखे तो अब विचारधारा से अधिक सभ्यताओं के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसे हंटिंगटन द्वारा शीत युद्ध के पश्चात "सभ्यताओं के मध्य संघर्ष" (Clashes of Civilization) के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया था, जहाँ वह विचार रखते है कि वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद एवम् साम्यवाद के मध्य तनाव के स्थान पर लोगों की सांस्कृतिक एवम् धार्मिक अस्मिता तनाव का प्राथमिक कारण बनेगी। हंटिंगटन की इस परिकल्पना को मात्र वैश्विक स्तर पर ही नहीं, स्थानीय स्तर पर भी अवलोकित किया जा सकता है तथा अस्मिता से सम्बन्धित यह समस्या अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों से अधिक सहसम्बन्धित हो जाती है।

अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत सुधार विभिन्न प्रश्नों को खड़ा कर देता है जिसे अस्मिता, बहुसंस्कृतिवाद, धार्मिक अधिकार आदि के नाम पर हुए वाद विवाद में अध्ययन किया जा सकता है। इन सब को वृहद पैमाने में व्यक्तिगत बनाम सामुदायिक अधिकारों की परिचर्चा में अवलोकित किया जा सकता है, सामुदायिक अधिकारों के पैरोकार बाजारीकरण के पश्चात् अस्मिता से सम्बन्धित जड़ो की मजबूती के पीछे उदारवाद की विचारधारा को मुख्य कारण मानते है जो कि व्यक्तिगत अधिकारों से सरोकार रखती है तथा समुदाय के अधिकारों को अनदेखा कर देती है साथ ही राष्ट्र राज्य के साथ इसके संबंधों में यह उदारवाद को बहुसंस्कृतिवाद जो की प्रत्येक समुदाय को समानता प्रदान करने के प्रति

वचनबद्ध है, से विमुख विचारधारा मानती है। हाँलाकि इस परिकल्पना को विल किम्लिका द्वारा ख़ारिज किया गया तथा बहुसंस्कृतिवाद की उदारवादी परिभाषा को प्रस्तुत करते हुए विचार दिया कि उदारवाद की विचारधारा बहुसंस्कृतिवाद के विपरीत नहीं है वरन यह ऐसे सभी मान्यताओं का खंडन करती है जो कि सामुदायिक अधिकारों के नाम पर व्यक्तिगत गरिमा का हनन करें। ऐसे में राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्तिगत अधिकारों के सरंक्षण हेतु सामुदायिक अस्मिता से सम्बन्धित प्रश्नों पर पुनः विचार करें।

भारत के अंतर्गत मुस्लिम समाज में सुधार के लिए पहल करना धार्मिक अस्मिता के साथ–साथ अल्पसंख्यक की भावना से ओतप्रोत अनेक प्रश्नों को भी उभारता है। 1986 में शाह बानों विवाद इसका भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। जहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत किसी भी तलाकशुदा महिला को अपने पति से प्राप्त होने वाले भत्ते के अधिकार को इसलिए नाकारा गया क्योंकि यह धार्मिक दृष्टिकोण से उचित नहीं था।

ऐसे में न्यायिक कार्यवाही द्वारा महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकार से सम्बन्धित निर्णय दिया गया, परन्तु इस ऐतिहासिक निर्णय का मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत स्वागत नहीं किया गया जिसका विरोध ना केवल मुस्लिम अभिजात पुरुष वर्ग द्वारा किया गया वरन मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी इस फैसले का स्वागत स्पष्ट रूप से नहीं किया गया जिसके पीछे राजनीतिक लाभ एवं अल्पसंख्यकवाद की राजनीति भी उत्तरदायी रही तथा इस के अतर्गत तुष्टीकरण की राजनीति में राजीव गाँधी सरकार द्वारा सामुदायिक अधिकारों के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों का बलिदान दे दिया गया, अर्थात् बाजारीकरण ने प्रतिस्पर्धा को राजनीति के माध्यम से अधिकारों के क्षेत्र में आरम्भ करा दिया, जिसके परिणामस्वरुप अस्मिता एवम् राजनीति का गठबंधन सुदृढ़ हो गया। मुस्लिम समुदाय के परिप्रेक्ष्य में यह अस्मिता का राजनीतिकरण अल्पसंख्यकता के रूप में अधिक पोषित हुआ जिसने सुधार के प्रत्येक कदम को अल्पसंख्यक विरोधी बता कर समुदाय के अंतर्गत भेदभाव की स्थिति को और मजबूत किया।

मुस्लिम समाज के अंतर्गत सुधार की ओर पहल के पीछे अस्मिता एवं अल्पसंख्यता के साथ–साथ अशिक्षितता का विद्यमान होना भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है जिसका उल्लेख सच्चर कमीशन आयोग की रिपोर्ट के अंतर्गत भी दिया गया है कि मदरसा शिक्षा उचित प्रकार से मुस्लिम समुदाय को मार्गदर्शित नहीं कर पा रही है। बाजारीकरण ने प्रत्येक सांस्कृतिक एवम् धार्मिक समूहों को विश्वस्त होने के अवसर प्रदान किये जिसमें मध्यम वर्ग का उदय एक महत्वपूर्ण कारक रहा जो उस शिक्षित वर्ग को परिलक्षित करता है जिसने शिक्षा के मार्ग से स्वयं के साथ अपने समुदाय के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। परन्तु इस वर्ग का भारतीय परिप्रेक्ष्य में अन्य समूहों की अपेक्षा मुस्लिम समुदाय में अनुपात कम रहा जिसने मुस्लिम समुदाय को स्वतंत्रता के सत्तर वर्ष के पश्चात् भी विभाजन, अस्मिता एवम् अल्पसंख्यता की राजनीति में जकड़े रखा है इसलिए मात्र राज्य का हस्तक्षेप मुस्लिम समुदाय को परिवर्तन की ओर अग्रसर नहीं कर सकता है।

इस कारणवश ही बहुसंस्कृतिवाद की इस उदारवादी परिभाषा को अधूरा माना जाता है जिसमें भीखू पारीख का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है उनका तर्क है कि समुदाय के अंतर्गत अगर व्यक्तिगत

अधिकारों का हनन हो रहा है या समुदाय की संस्कृति में सुधार की आवश्यकता है तो उस परिवर्तन की आवाज़ समुदाय के अंतर्गत से ही निकलनी चाहिए तथा यह परिवर्तन संवादात्मक विधि से संपन्न कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। शायद यही कारण था कि शाहबानो वाद के ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात भी परिवर्तन की लहर आरम्भ करने के लिए राजनीतिक तुष्टीकरण ने अल्पसंख्यता को अधिक वरीयता प्रदान करी।

जिसने उन आवाजों को भी दबा दिया जो वास्तविकता में परिवर्तन का आरम्भ कर सकती थी परन्तु शाहबानो के काल में जो परिवर्तन थम सा गया था उसे शायरा बानो काल में गति प्रदान हो सकी और इस बार स्वयं मुस्लिम महिलाओं द्वारा इस परिवर्तन हेतु मुहीम चलाई गई तथा सरकार द्वारा भी इसके प्रति सकारात्मक कदम उठाया गया जिसके परिणामस्वरूप तीन तलाक बिल संसद के अंतर्गत पारित हो सका। ऐसे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि समुदाय के अंतर्गत सुधार की प्रकिया को सुमदाय के द्वारा ही आरम्भ किया गया, जिसमें गत वर्षों में शिक्षा के स्तर में सुधार एवं राजनीतिक सक्रियता का उचित योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

मुस्लिम समुदाय स्वयं को शिक्षा, सक्रियता एवं सकरात्मकता के माध्यम से अस्मिता को राजनीति की बेड़ियों में जकड़ने से बचा सकता है तथा साथ ही सरकार को भी राजनीतिक लाभ से परे हट कर अल्पसंख्यकों के विकास को अल्पसंख्यवाद से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए तथा संवादात्मक विधि से परिवर्तन के प्रत्येक सुधार के द्वार को समुदाय एवं राजनीति दोनों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए।

♦♦♦♦♦

5

तीन तलाकः एक राजनीतिक दृष्टिकोण

रजनी
शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

समय के परिवर्तन के साथ तीन तलाक को एक राजनीतिक दृष्टिकोण के तौर पर देखा जाने लगा है क्योंकि यह सत्य है और स्पष्ट भी कि इसका धर्म के ठेकेदारों से पूर्ण सरोकार है क्योंकि इन्ही ठेकेदारों के द्वारा ऐसी परंपराओ का निर्माण किया गया जिससे स्त्रियों का समानता जैसी व्यवस्था से दूर रखा जाए और इस व्यवस्था का कुरान में न उल्लेख किया है और न ही इसे सही माना है परतुं धर्म के ठेकेदारों की राजनीतिक सियासत यह कहती है कि स्त्रियों को किसी प्रकार का अधिकार विशेष रूप से विवाह संबंधित अधिकार न प्रदान किए जाए

तीन तलाक भारत में तलाक का एक प्रचलित रूप है, जिसके अतर्गत एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक उच्चारण करके कानूनी रूप से तलाक दे सकता है। उच्चारण मौखिक या लिखित हो सकता है, या, हाल के दिनों में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे कि टेलीफोन, एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया द्वारा किया जा सकता है। पुरुष को तलाक के लिए किसी कारण का हवाला देने की आवश्यकता नहीं होती। यह कई रूपों में जाना जाता है जैसे तलाक–ए–बिद्दत अर्थात तत्काल तलाक और तलाक–ए–मुग़लज़ाह (अपरिवर्तनीय तलाक) है।

इसका प्रचलन कालिफ़ उमर के काल से लगभग 1400 वर्ष पहले से माना जाता है। कुरान में तीन तालक का उल्लेख नहीं है। यह मुस्लिम कानूनी विद्वानों द्वारा अस्वीकृत है। कई इस्लामिक राष्ट्रों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित, इस पर रोक लगा दी है, हालांकि यह तकनीकी रूप से सुन्नी इस्लामी न्यायशास्त्र में कानूनी है। तीन तलाक, इस्लामी कानून में, इस विश्वास पर आधारित है कि पति को अपनी पत्नी को अच्छे आधारों को अस्वीकार करने या खारिज करने का अधिकार है।

भारत में तीन तलाक का उपयोग और स्थिति एक विवाद और विचार–विमर्श का विषय रहा है। इस प्रथा पर प्रश्न उठाने वालों ने न्याय, लैंगिक समानता, मानवाधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के विषयों को उठाया है। इस विचार–विमर्श में भारत सरकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय शामिल हैं, और यह भारत में एक समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद) के बारे में बहस से जुड़ा है। 22 अगस्त 2017 को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल तीन तालक (तलाक–ए–**बिद्दत**) को असंवैधानिक माना और पाँच में से तीन न्यायाधीशों ने कहा कि तीन तालक की प्रथा असंवैधानिक है।

इस प्रथा को मुस्लिम महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा, जिनमें से कुछ ने इस प्रथा को "प्रतिगामी" करार देते हुए, इस प्रथा के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा 2 को संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) के विरूद्ध होने के रूप में वर्णित किया गया है। मार्च 2017 में, 1 मिलियन से अधिक भारतीय मुस्लिम, जिनमें से अधिकांश महिलाएं थीं, ने तत्काल तीन तालक समाप्त करने के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए।

याचिका की शुरुआत दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े इस्लामिक संगठन एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने की थी। तत्काल तीन तलाक के विरूद्ध याचिकाकर्ताओं ने सिद्ध किया हैं कि कैसे त्वरित तीन तलाक केवल एक नवाचार है जिसका कुरान की मान्यताओं से बहुत अधिक लेना–देना नहीं है।

10 मई 2017 को, वरिष्ठ धर्मगुरु मौलाना सैयद शहाबुद्दीन सलाफी फिरदौसी ने तीन तालक और निकाह हलाला की निंदा करते हुए उन्हें महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए गैर–इस्लामिक प्रथाओं और उपकरणों का आह्वान किया। जिसका हिंदू राष्ट्रवादियों और मुस्लिम उदारवादियों ने भी विरोध किया गया है।

तीन तलाक के विरूद्ध विधेयक

बहुत लंबी चर्चा के बाद 26 जुलाई 2019 को एक विधेयक पारित हुआ और सरकार ने द मुस्लिम वीमेन (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2017 तैयार किया इस विधेयक द्वारा लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे किसी भी तरीकों द्वारा तत्काल तीन तलाक (तलाक–ए–**बिद्दत**) को अवैधानिक बनाता है, जिसमें पति को तीन वर्ष तक की जेल होती है। RJD, AIMIM, BJD, INC, AIADMK, और IUML के सांसदों ने विधेयक का विरोध किया परंतु 30 जुलाई 2019 को संसद द्वारा विधेयक पारित किया गया।

13 मई 2017 को, अपने अंतिम निर्णय से पहले सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल तीन तालक को "विवाह विच्छेद का सबसे खराब रूप" बताया। यह देखा गया है कि सऊदी अरब, मोरक्को, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुस्लिम बहुल देशों में इस पर प्रतिबंध किया गया है। 8 दिसंबर 2016 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि त्वरित तीन तलाक की प्रथा असंवैधानिक थी और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती थी।

एक वाद जिसे शायरा बानो बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है में विवादास्पद तीन तलाक मामले की सुनवाई करने वाली पीठ बहु–संदस्यीय सदस्यों से बनी थी। जिसमे पांच अलग–अलग समुदायों के पांच न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर, एक सिख, जस्टिस कुरियन जोसेफ एक ईसाई, आरएफ नरीमन एक पारसी, यूयू ललित एक हिंदू और अब्दुल नज़ीर एक मुसलमान हैं। जहां

सर्वोच्च न्यायालय को यह जांचना है कि क्या तीन तलाक को संविधान का संरक्षण प्राप्त है यदि यह प्रथा संविधान में अनुच्छेद 25 (1) द्वारा सुरक्षित है, जो "धर्म, अभ्यास और धर्म के प्रचार" के सभी मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। न्यायालय यह स्थापित करना चाहता है कि तीन तलाक इस्लामी विश्वास और व्यवहार की एक अनिवार्य विशेषता है या नहीं।

जैसा कि तीन तलाक अध्यादेश को 22 जनवरी 2019 को समाप्त होना था, सरकार ने अध्यादेश को बदलने के लिए 17 दिसंबर 2018 को लोक सभा में नया विधेयक पेश किया।

विधेयक के प्रावधान इस प्रकार हैं:–

- लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में तत्काल तीन तालक की सभी घोषणाएं शून्य (यानी कानून में लागू नहीं) और अवैधानिक हैं।
- त्वरित तीन तालक अधिकतम तीन वर्ष का कारावास और जुर्माने के साथ संज्ञेय अपराध है। जुर्माना राशि मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाती है।
- अपराध केवल तभी संज्ञेय होगा जब अपराध से संबंधित जानकारी पत्नी या उसके रक्त रिश्तेदार द्वारा दी गई हो।
- अपराध गैर–जमानती है। लेकिन एक प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जमानत दे सकता है। जमानत केवल पत्नी की सुनवाई के बाद दी जा सकती है और अगर मजिस्ट्रेट जमानत देने के लिए उचित आधार से संतुष्ट है।
- पत्नी निर्वाह भत्ते की अधिकारी है। राशि का निर्धारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है।
- पत्नी विवाह से अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी पाने का अधिकारी है। हिरासत का तरीका मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

तीन तलाक, पुरूष के इच्छास्वरूप इस बंधन से मुक्ति का रास्ता आसान करते हुए तीन तालक जैसे नमूने को पेश करके बीच का रास्ता निकाल लिया गया जैसा कि तीन तालक को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) द्वारा समर्थित किया गया है, जो एक गैर–सरकारी निकाय है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के आवेदन का पर्यवेक्षण करता है। यह प्रचार करता है कि राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

AIMPLB बोर्ड इस प्रथा का बचाव करता है। अप्रैल 2017 में, मुस्लिम महिला अनुसंधान केंद्र द्वारा महिलाओं के लिए शरिया समिति के साथ समन्वय में तैयार की गई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, AIMPLB ने दावा किया है कि मुसलमानों में अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में तलाक की दर कम है, इसने देश भर में 35 मिलियन मुस्लिम महिलाओं से फार्म प्राप्त किए, उन्होंने शरीयत और तीन

तलाक का समर्थन किया। परंतु यह अनुचित व्यवस्था समाज को विकास के तौर पर और महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय जैसे शब्दो को वरीयता प्रदान करते हुए 2019 में रद्द कर दिया गया।

यह पहला कानून था जिसे नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में वापस जाने के बाद पारित किया था। लंबी विचार–विमर्श के बाद वोट डालने के लिए, तीन तलाक बिल को राज्यसभा में 99 समर्थन बनाम 84 वोटों के साथ पारित किया गया था। यह भारतीय मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़े दिन के रूप में सामने आया है, जो पंथनिरपेक्ष, विकसित और आधुनिक भारत के लिए एक विकासोन्मुख कदम है।

♦♦♦♦♦

6

तीन तलाक विधायन एवं मुस्लिम महिला सशक्तिकरण

राखी
शोधार्थी, राजनीतिक विभाग विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

इस्लाम धर्म में महिलाओ का स्थान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उनके निजी जीवन में पारिवारिक स्तर पर दयनीय स्थिति से काफी हद तक प्रभावित है। महिलाओं का अपने पति के आदेश को मानने एवं उन्हें उनकी शर्तिया तथा गैर शर्तिया बातो में सहमति न देने के कारण उनके प्रति होने वाले अन्याय को समाप्त करने की ओर यह एक बेहतर शुरुआत है क्योकि इंकार की स्थिति में इन्हें सदैव अपने पति के तीन बार तलाक कहे जाने का भय एवं असुरक्षा के वातावरण में जीवन व्यतीत करना होता है।

मुस्लिम समाज में लैंगिक समानता तथा उनके व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करने में यह परम्परा एक मुख्य बाधा थी जिसे न्यायपालिका द्वारा अगस्त 2017 में गैरसंवैधानिक घोषित करते हुए मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार सुरक्षा विधेयक) को मान्यता दी जिसे कानून का रूप प्रदान करना वर्तमान सरकार की एक अहम् उपलब्धि है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना आदि की तरह महिलाओं की सुरक्षा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसने महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हुए उनकी सशक्तता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए समाज में सभी महिलाओ के प्रति समान नीति को बढ़ावा दिया है।

सामाजिक रीतियों में बदलावः लैंगिक समानता की ओर एक कदम

मुस्लिम समाज के पारिवारिक संबंधो में यह परिवर्तन महिलाओं को स्वायत्त बनाने के लिए एक आवश्यक सुधार के प्रारम्भ का प्रतीक है। यह सशक्तिकरण के लिए कानूनों में परिवर्तन है जिसे पारिवारिक स्तर से आरंभ करके वर्तमान सरकार ने मुस्लिम महिलाओ के निजी जीवन में विकास के लिए उन्हें एक नई पहचान दी है जो उनको पारिवारिक स्तर पर होने वाले अन्याय के खिलाफ अधिकार देगा। यह बदलाव लम्बे समय से चली आ रही अन्याय–पूर्ण व्यवस्था को समाप्त करता है जो कि संविधान में उल्लेखित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है क्योकि यह विवाह संबंधो में एक को दूसरे से अधिक अधिकार देता था।

चूँकि महिलाओ के प्रति अत्याचार का विरोध भारत में स्वतंत्रता से पहले ही भेदभाव पूर्ण तथा अमानवीय प्रक्रियाओं जैसे सती प्रथा तथा बाल विवाह पर रोक लगाकर की जा चुकी है जो स्वतंत्रता

के इतने वर्षो के बाद भी अभी चल रही है चाहे वो दहेज, बलात्कार का मुद्दा हो या लैंगिक शोषण का इन सभी प्रतिरोधो ने उस वर्चस्वपूर्ण पितृसत्तात्मक विचारधारा का विरोध किया है जो महिलाओ को अधीनस्थ स्थान पर रखते हुए उन पर पुरुष सर्वोच्चता को उचित मानता है।

हालाँकि इस कानून का विरोध मुस्लिम लॉ बोर्ड, अनेक धार्मिक संगठनो के नेता, कार्यकर्ता तथा स्वयं कुछ महिलाएं भी आन्तरिक मामलो में दखल कहकर अनुचित ठहरा रहे है किन्तु वह इस जानकारी से अनभिज्ञ है कि मुस्लिम धर्म में महिलाओं के प्रति इस प्रकार से अनुचित व्यवहार को कुरान भी वैधता नही प्रदान करता है तथा स्वयं इस समुदाय के सदस्यों ने इसे विश्व के 12 देशो में गैरकानूनी घोषित किया है। भारत में भी भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन के अध्ययन के अनुसार 92 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं स्वयं इसको समाप्त करने के पक्ष में है जिसे भारत में भी संवैधानिक संस्थाओ ने अमान्य घोषित किया।

यह किसी प्रकार की स्वतंत्रता तथा धार्मिक सम्प्रभुता पर प्रतिबंध लगाना नही अपितु इसे बढ़ावा देना है जो कि लोकतंत्र के उस सिद्धांत के अनुकूल है जिसके आधार पर समाज में लिंग आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त करके असमानता को अमान्य घोषित कर सभी के प्रति समान व्यवहार की मांग करता है क्योंकि इसका विरोध स्वयं उन पीड़ित महिलाओ द्वारा किया जो इसके परिणामो के साथ जीवन व्यतीत कर रही है। 13 सालो पहले इस प्रतिरोध की शुरुआत शायरा बानो केस से हुई जिसमे सर्वप्रथम इस्लाम धर्म में शामिल पुरुष सर्वोच्चता के मामले को समाज के समक्ष रखते हुए न्याय की गुहार लगाई गयी। इस मुद्दे को अधिक से अधिक राजनीतिक महत्व मीडिया ने दिया। मुस्लिम महिलाओ के विचारो को फ़ैलाने तथा इनके अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता लाने से यह विचार न्यायपालिका तथा सरकार द्वारा परिवर्तन करके हर उस अतार्किक कारण पर विराम चिन्ह लगाया है जो इस्लाम में पुरुष को पारिवारिक स्तर पर हर छोटे से मनमुटाव से तलाक तक पहुँचा देता है।

हालाँकि कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता इसे कानून को इस आधार पर प्रश्न लगा रहे है कि इसमें तलाक का अपराधीकरण कर दिया गया है तथा तलाक की स्थिति में गुजराभत्ता पर बल नही दिया गया परन्तु यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब क़ानूनी संस्थाए सबल रूप से इस मनमाने व्यवहार पर प्रतिबन्ध लगाकर तलाक के निराधार कारणों को ही समाप्त कर कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा तो इस मांग की आवश्यकता ही कम हो जाएगी।

सामान्तया इन परिस्थितियों में महिलाएं सदैव एक डर तथा असुरक्षा के माहौल में जीवन व्यतीत कर रही थी कि किस अस्वीकृत गतिविधि के आधार पर पति उन्हें तीन बार तलाक कहकर उनसे सम्बन्ध समाप्त कर दे। जैसा कि व्यवहारिक रूप से तलाक के कारण बहुत तुच्छ तथा अतार्किक भी होते है भोजन में किसी भी प्रकार की कमी होना, वैचारिक भेदभावों के कारण आपसी तनाव होना, किसी अन्य महिला से पुरुष के अवैध सम्बन्ध होना, महिला का निरक्षर होने की परिस्थिति में समान अनुकूलता का

न होना आदि। यह एक प्रकार की अनुचित मानसिकता है जो महिलाओं को मानवीय व्यवहार से निम्न एवं उन्हें केवल एक वस्तु की श्रेणी में रखता है। इस असमानता पूर्ण व्यवहार की समाप्ति कर समाज में सुधार लाना स्वतंत्र भारत में संविधान का उद्देश्य बनाया गया था जो अभी पूर्ण नही हुआ है।

वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह जी ने 18 अगस्त 2019 को अपने वक्तव्य में कहा है कि इन कुरीतियों को निरंतर अज्ञानता के विरोध के पश्चात भी न समाप्त करने का वही व्यवहार है जिसे राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गाँधी ज्योतिबा फुले, डा. अम्बेडकर तथा वीर सावरकर जैसे समाज सुधारको ने आरम्भ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप है अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसे सामाजिक भेदभावो के विरूद्ध आन्दोलन चलाये गये। तीन तलाक पर वर्तमान निर्णय को भी किसी प्रकार के वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठाकर समाज के हित के रूप में देखा जाना चाहिए।

इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषो के समान अधिकार देना, जिससे महिलाओं को इस योग्य बनाया जाए कि वह पर्दे से निकलकर पुरुषो के स्वामित्व के विरूद्ध आवाज को बुलंद करते हुए एकतरफा असमान शक्तियों का विरोध कर सके तथा समाज की प्रगति में भागीदारी ले सके। सशक्त रहकर ही बिना किसी डर तथा रोक–टोक के एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में वह नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यो का निर्वाह कर सके। समाज में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अनुचित परम्पराओं को बदला जाना समय की आवश्यकता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ता प्रदान करेगा एवं समाज में प्रत्येक नागरिक को अपना आदरणीय स्थान प्रदान कराएगा।

♦♦♦♦♦

7

तीन तलाक पर विभिन्न वैचारिक पक्षः एक प्रतिक्रिया

पंकज
शोधार्थी, राजनीतिक विभाग विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

तीन तलाक विरोधी कानून (मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019) संसद में प्रस्तुत करने से लेकर उसके राष्ट्रीय कानून बनने तक मीडिया में छाया रहा। इसके पक्ष एवं विपक्ष में बुद्धिजीवियों द्वारा अनेक तथ्य प्रस्तुत किए गए है। विभिन्न विचारधाराओं से संबंधित बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा अपने वैचारिक परिप्रेक्ष्य में विचार प्रस्तुत करते हुए इसका समर्थन एवं विरोध किया गया। जबकि वास्तविक विषय जिसमें मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाना एवं सक्रिय रूप से समाज की मुख्यधारा में भागीदारी सुनिश्चित करना से भटकते हुए प्रतीत हुए।

वैचारिक एवं समुदाय के हितों को प्राथमिकता देते हुए तीन तलाक विरोधी कानून का विरोध किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न मुख्यतः दलीय एजेंडा, भारत की विविधता के सिद्धांत के प्रतिकूल, विधि की त्रुटिपूर्ण व्याख्या, बहुसंख्यक संस्कृति को अल्पसंख्यक समाज पर अप्रत्यक्ष रूप से थोपना इत्यादि के आधार पर प्रश्न उठाकर इस कानून की आलोचना की गई है।

इसलिए आवश्यक है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने के साथ–साथ वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराया जाए। जिससे अर्द्ध–तथ्यात्मक पक्ष में परिपूर्णता के अवसर मिल सके।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 पर उठाए गए प्रश्नों पर व्यवस्थित तथ्यात्मक प्रतिक्रिया इस प्रकार है–

सामुदायिक हितों के परिप्रेक्ष्य में

मुस्लिम समुदाय के हितों को आधार बनाते हुए इसमें दो आधारों पर प्रश्न उठाए जाते हैं। प्रथम अल्पसंख्यक संस्कृति में हस्तक्षेप, द्वितीय विविधता के सिद्धांत के विपरीत है। अल्पसंख्यक संस्कृति के संरक्षण का बहाना बनाते हुए विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचना की जाती है कि अप्रत्यक्ष रूप से बहुसंख्यक संस्कृति को मुस्लिम समुदाय पर थोपा जा रहा है। परंतु इस विचार को देते समय विचारक यह भूल कर जाते हैं कि यह वास्तव में संस्कृति थोपने का प्रश्न न होकर उस संस्कृति में सुधार करने के लिए उठाया गया एक कदम है। यह सुधार उस समाज को न केवल प्रगतिशील बनाएगा, बल्कि

समकालीन विश्व में मुस्लिम संस्कृति को और अधिक प्रासंगिक बनाएगा। द्वितीय प्रश्न, जो विविधता का अंत करते हुए समरूपीकरण से संबंधित है। जिसमें बहुसंस्कृतिवादी यह तथ्य प्रस्तुत करते हुए प्रश्न उठाते हैं कि तीन तलाक के आधार पर मुस्लिम समुदाय के सांस्कृतिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। वास्तव में इस तथ्य में वास्तविक तर्कसंगतता का अभाव है। क्योंकि सामुदायिक संस्कृति के संरक्षण के नाम पर यह नहीं होना चाहिए कि उस समुदाय के विशिष्ट वर्गीय हित एक ऐसी शक्ति संरचना का निर्माण करें जिसमें समुदाय के आधे भाग अर्थात महिलाओं को शोषण एवं भेदभाव का शिकार होना पड़े।

तीन तलाक विरोधी कानून विविधता का अंत नहीं करता, बल्कि उस समुदाय की शक्ति संरचना में दबे हुए नारी अधिकारों और मूल्यों के साक्ष्य प्रस्तुत करते है। जो समाज में नए मूल्यों को प्रदान करके उस समुदाय की सांस्कृतिक विविधता को ओर व्यापक बनाते हैं । राजनीतिक रूप से तीन तलाक विरोधी कानून मुस्लिम समाज में व्याप्त परंपरागत सामंतवादी ढांचे को एक नए सिरे से चुनौती प्रस्तुत करते हुए उसे ओर अधिक लोकतांत्रिक बनाने के प्रति एक कदम के समान है। जिसमें वर्तमान शोषणकारी एवं भेदभाव पर आधारित शक्ति संरचना का अंत किया जाए जा सके।

विधि व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में

तीन तलाक विरोधी कानून पर न केवल सामाजिक आधार पर बल्कि इससे संबंधित विधि व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में भी प्रश्नचिन्ह लगाए जाते हैं। जिसमें मुख्य तीन पक्ष प्रमुख हैं। प्रथम, संवैधानिक प्राधिकार बनाम धार्मिक प्राधिकार, द्वितीय, संविदा बनाम पवित्र संस्कार, तृतीय दीवानी कानून बनाम फौजदारी कानून।

प्रथम– मुस्लिम समाज में तीन तलाक को मान्यता कुछ विद्वान इस आधार पर प्रदान करने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हर धर्म को अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मुक्त पेशा और धार्मिक पद्धति या प्रथा की स्वतंत्रता प्राप्त है।

इसलिए उस धार्मिक समुदाय के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। परंतु इस तथ्य के आधार पर तीन तलाक जैसी कुप्रथा को मान्यता देने वाले पक्ष यह भूल जाते हैं कि तीन तलाक केवल प्रथा नहीं है बल्कि सामाजिक बुराई है और भारतीय संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान है, जहां अनेक सामाजिक बुराइयों को प्रतिबंधित किया गया है।

तीन तलाक में वर्तमानकालीन कानून का निर्माण भी इसी बुराई का अंत करने का एक प्रयास है। इसके अतिरिक्त तीन तलाक का समर्थन करने वाला पक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर धार्मिक प्राधिकार को संवैधानिक प्राधिकार पर हावी होने का अवसर प्रदान करता है जो वास्तव में संविधान की मूल भावना के विरूद्ध है। क्योंकि भारतीय संविधान में केवल धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है अपितु समानता, सामाजिक न्याय की भी बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का बहाना बनाकर मुस्लिम समाज की आधी जनसंख्या

को समानता एवं सामाजिक न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही मुस्लिम के लिए तीन तलाक के समर्थन में जिस धार्मिक प्राधिकार का समर्थन किया जाता है उसे ये वैधता मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ कुरान और हदीस से भी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए वैधता के अभाव में धार्मिक प्राधिकार तर्कविहीन और न्यायसंगत परिलक्षित प्रतीत नहीं होता है।

द्वितीय– तीन तलाक विरोधी कानून के विपक्ष में यह तथ्य दिया जाता है कि यह दीवानी कानून और फौजदारी कानून को मिश्रित करता हैं क्योंकि इस विचार के समर्थकों का मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तीन तलाक का विषय दीवानी कानून से संबंधित है। जबकि मुस्लिम पुरुष को तीन तलाक देने पर दंडात्मक प्रावधान भी किया गया है जो इसे फौजदारी कानून के साथ मिश्रित कर देता है।

परंतु इस विचार के समर्थक प्रायः इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि जनवरी 2017 के बाद से अभी तक 547 मुकदमे तीन तलाक से संबंधित संज्ञान में आए हैं। अर्थात तीन तलाक की सामाजिक बुराई कितनी सामान्य रूप से मुस्लिम महिलाओं को शोषित करती है, यह तथ्य पूर्णरूप से हमें इससे अवगत कराता है।

इसलिए तीन तलाक विरोधी कानून में दंडात्मक प्रावधान जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। इसमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि दीवानी और फौजदारी कानून का सामंजस्य केवल इसी अधिनियम में नहीं है, बल्कि अन्य अधिनियम जैसे की हिंदू विवाह अधिनियम में दहेज प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों के प्रति दंडात्मक प्रावधान सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 पूर्ण देयता पर आधारित नहीं है। यदि महिला चाहे तो अपने पति को क्षमा करने की याचना न्यायालय से कर सकती है। जिससे मुस्लिम पुरुष को एक नया अवसर प्राप्त हो सकता है और नारी को इसके माध्यम से दोहरा सशक्तिकरण प्राप्त होता है।

तृतीय– विषय मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 में संविदा बनाम पवित्र संस्कार से संबंधित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार विवाह मुस्लिम समाज में महिला और पुरुष के मध्य एक संविदा के रूप में लिया जाता हैं। जहां तक संविदा का विषय है इसमें शर्तें एवं नियम भावनात्मक संबंधों पर हावी होते हैं।

जो अधिकतर आर्थिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में परिलक्षित होता है। इसलिए तीन तलाक इसी सामाजिक संविदा का विकृत रूप है। वर्तमानकालीन अधिनियम कानूनी तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से इस संविदा को पवित्रता पर आधारित संबंधों में परिवर्तित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जिसमें तीन तलाक जैसी सामाजिक बुराई को न केवल अवैधानिक घोषित करता है, बल्कि उसके धार्मिक प्राधिकार को भी अवैध घोषित करता है।

अतः व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो तीन तलाक विरोधी कानून के विपक्ष से संबंधित प्रश्न तथ्यात्मक अभाव के साथ नीति की बजाय भेदभाव शोषणकारी राजनीति से संचालित है। इसलिए सरकार का वर्तमानकालीन तीन तलाक विरोधी कानून मुस्लिम समाज के लिए प्रगतिशील, सुधारवादी और नारियों के प्रति न्यायसंगत है।

♦♦♦♦♦

8

मुस्लिम समाज में महिलाएंः दशा एवं दिशा

निशा कुमारी
शोधार्थी, राजनीतिक विभाग विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

महिला चाहे वह किसी भी धर्म से सम्बंधित हो या विश्व के किसी भी देश से, सामान्य तौर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षिक इत्यादि क्षेत्रों में एक लम्बे समय से उपेक्षा का विषय बनी रही है। विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर ध्यान दिया जाये तो वह गरीब में सबसे गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर, राजनीतिक रूप से निर्बल तथा सामाजिक रूप से अनेक प्रकार की कुप्रथाओं में बंधी हुयी है। मुख्य रूप से जिन कुरीतियों का सामना मुस्लिम महिलाएं कर रही है उनमें बुर्का प्रथा, तीन तलाक, निकाह–हलाला, बहुपत्नी विवाह इत्यादि मुख्य है।

मुस्लिम समाज में पितृसत्तात्मक संरचना को मजबूती प्रदान करने में इस्लाम धर्म के व्याख्याकारों, ध र्मगुरुओं, इमाम तथा मौलवी वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। यह व्याख्याकार इस्लाम धर्म तथा इस्लामिक ग्रंथों की इस प्रकार की व्याख्या समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं जिसमे मुस्लिम महिलाओं को अधीन रखने का उद्देश्य निहित होता है। तीन तलाक कुरीति का अब तक व्यवहार में बने रहना भी व्यख्याकर्ताओं तथा धर्मगुरुओं के इसी प्रयास का परिणाम है। जो मुस्लिम महिला को पूरी तरह से पितृसत्तात्मक सत्ता के अधीन कर देती है तथा बहुपत्नी विवाह को पुर्नबलित करती है।

विवाह संस्था सदैव ही प्रत्येक समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था रही है। यह गृहस्थ जीवन की शुरुआत करती है तथा सामाज से व्यक्ति के सम्बन्ध को अधिक सुदृढ करती है। विवाह संस्था उत्तराधि ाकार के निर्णय तथा मानव सभ्यता के उत्तरोतर विकास की दिशा में सहायक रही है। वहीं दूसरी तरफ विवाह विच्छेद के लिए तीन तलाक की कुरीति ने मुस्लिम महिलाओं को पतन की दशा में ला कर खड़ा कर दिया है। तीन तलाक से अभिप्राय विवाह विच्छेद की उस प्रक्रिया से है जिसमे पुरुष द्वारा बोलकर, लिखकर या इलेक्ट्रॉनिक सन्देश के माध्यम से एक बार में ही तीन बार तलाक–तलाक–तलाक कहने से पुरुष तथा स्त्री के बीच विवाह सम्बन्ध की समाप्ति हो जाती है।

इस प्रथा का व्यवहारिक दुष्परिणाम महिला वर्ग को ही झेलना पड़ता है तथा यह मुस्लिम समाज में महिला पर पुरुष के स्वामित्व को सुदृढ़ करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इस्लाम में दो प्रकार के तलाक का वर्णन मिलता है। पहला, तलाक अल सुन्नाम– जिसे पैगम्बर मुहम्मद के आदेश के अनुसार किया जाता है। तथा दूसरा, तलाक अल बिद्दत– जिसे बाद में शुरू किया गया।

तीन तलाक का सम्बन्ध तलाक अल बिद्दत से है। यद्यपि कुरान में सीधे तौर पर तलाक का कोई वर्णन देखने को नही मिलता। मुस्लिम पुरुष वर्ग द्वारा तीन तलाक को महिला के विरुद्ध एक हथियार के रूप में ही अधिकतर प्रयोग में लाया गया है। जिसमे कभी पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर महिला को तीन तलाक दे दिया जाता है तो कभी मनमाना दहेज न मिलने पर माहिलाओं को तीन तलाक का शिकार बनाया जाता है। ऐसे और भी अनेक प्रकार के उदहारण है जिसमे महिलाओं को तीन तलाक के माध्यम से मुस्लिम पुरुषों ने एक खिलौने की भांति प्रयोग करके विवाह विच्छेद कर लिया। तथा पीड़ित महिलाओं को जीवन निर्वाह के लिए किसी भी प्रकार की निर्वाह राशि का भी प्रावधान नहीं रहा।

भारत में तीन तलाक बहुत लम्बे समय से विवेचना तथा विमर्श का विषय रहा है। यह विषय न्याय, लैंगिक समानता, तथा मानवाधिकार के सिद्धांतों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है तथा तीन तलाक पर वर्तमान विमर्श को गढ़ने में भारतीय न्यायपालिका (शाहबानो से शायरा बानो केस तक) तथा संसद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में विभिन्न सम्प्रदायों के कानूनों– जिसे पर्सनल लॉ की संज्ञा दी गयी है, की आड़ में महिला शोषण की राजनीति, जहां मुस्लिम महिलाओं के सम्मान से जीने के अधिकार अर्थात् संविधान के अनुच्छेद 21 का भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन करती है, वहीं अनुच्छेद 25– धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में मुस्लिम महिलाओं के शोषण को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार को सीमित करने की मांग को भी सुदृढ़ करती है।

जिसमें यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों के साथ विरोधाभाषी नहीं होना चाहिए। अर्थात् उसी सीमा तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए जहाँ तक वह अन्य मौलिक अधिकारों तथा मानवाधिकारों के साथ संगत हो। इस प्रकार यह समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद–44) की मांग को एक ठोस आधार भी प्रदान करती है।

राष्ट्रीय पटल पर तीन तलाक का मुद्दा सर्वप्रथम *'मोहम्मद अहमद बनाम शाहबानो बेगम'* केस के साथ मुखरित हुआ। इस केस ने स्वतंत्र भारत के न्यायिक तथा राजनितिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस केस में 60 वर्ष से अधिक उम्र की शाहबानो को उनके पति द्वारा तीन तलाक दिए जाने पर न्यायपालिका के माध्यम से पति से भरण पोषण भत्ते की राशि की मांग की गयी तथा न्यायपालिका ने शाहबानो के पक्ष में निर्णय भी दिया। इस केस को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है। परन्तु इस निर्णय के बाद ही विभिन्न इस्लामिक संगठनों द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के हनन के रूप में विश्लेषित किया गया तथा इसे भारत में इस्लाम धर्म पर खतरे की संज्ञा दी गयी।

तत्कालीन सरकार ने इस विरोध के दबाव में आकर मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 के माध्यम से न्यायलय के निर्णय को पलट दिया। 30 दशकों के बाद यह विषय एक बार फिर *'शायरा बानो केस'* के माध्यम से मुख्यधारा का विषय बना। जिसमे एक बार पुनः तीन तलाक को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध मानते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गयी। जिसके परिणामस्वरूप 2017

में भारतीय न्यायपालिका ने अपने निर्णय में तीन तलाक को असंवैधानिक बताया। अंततः 1 अगस्त 2019 को भारतीय संसद द्वारा तीन तलाक को कानूनी रूप से अवैध घोषित करने वाले अधिनियम का निर्माण किया गया। यह अधिनियम एक बार में तीन तलाक को जहाँ अवैध घोषित करता है वहीं ऐसा करने पर पुरुष के लिए तीन वर्ष की सजा तथा पत्नी को क्षतिपूर्ति राशि देने का भी प्रावधान करता है। इससे पूर्व यद्यपि तीन तलाक की सर्वव्यापक आलोचना तो की जाती थी परन्तु इसका शिकार रही महिलाओं के पास न्याय पाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। इस अधिनियम का एक बार पुनः इस्लामिक धर्मगुरुओं तथा व्यख्याकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। परन्तु इस अधिनियम को मुस्लिम महिलाओं के हित की दिशा में उठाये गये एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।

♦♦♦♦♦

9

संपत्ति अधिकार एवं निजी कानूनों के मध्य महिला सशक्तीकरण

ज्योति भारती

सहायक प्राध्यापक, सत्यवती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

वर्तमान समय में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक विधानों में से एक त्वरित तीन तलाक़ समाज की मुख्यधारा के विचार विमर्शों में से एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। तीन तलाक का विषय भारतीय लोकतंत्र में एक समान लैंगिक समानता के विषय को उसकी गहराई में स्थापित मूल समस्या से ध्यान हटाकर उसके ऊपरी सतह तक ही सीमित कर देती है। परिवार के अतर्गत अधिकतर धर्मों की महिलाओं के धार्मिक कानूनों में उनकी असमान स्थिति परिवार, समाज तथा राजनीति में उनके एक समान नागरिकता के अधिकार को प्रभावित करती है। इसी संदर्भ में, पैतृक सम्पति में एक समान उत्तराधिकार न मिलने से एक महिला को स्वयं के भरण–पोषण के लिए तलाक़ के पूर्व, तलाक के समय तथा तलाक के पश्चात् परिवार के पुरुष सदस्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ तक कि एक महिला को उसके आर्थिक अधिकारों के छिन जाने के भय से घरेलु हिंसा तक जैसी यातनाओं को झेलने के लिए विवश होना पड़ता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि अमान्य तलाक जैसी समस्याओं के उन्मूलन के साथ ही राज्य को सभी धर्मों की महिलाओं के उनके पैत्रक सम्पति में पुत्रों के समान उतराधिकारों को सुनिश्चित करवाना भी आवश्यक है। यह अधिकार न केवल विवाहित तथा तलाकशुदा महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करने तथा उन्हें आर्थिक भरण–पोषण के भय से ऐसी स्थिति में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत करने हेतु अने क भूमि अधिकारों से सम्बधि ात हकदारी को समझना आवश्यक है। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है।

हालाकि भारत में स्त्रियों से संबंधित भूमि अधिकारों का क्षेत्र वृहतर है, जिसके अंतर्गत परिवार से उत्तराधिकार में प्राप्त की गई भूमि, कृषि भूमि, क्षतिपूर्ति से प्राप्त भूमि वन भूमि, विभाजित परिवारो को भूमि तथा स्वतंत्रता पश्चात 'भूमि सुधार' कार्यक्रमों के दौरान सरकार से प्राप्त हुई भूमि आती है। अधि ाकतर अधिकारों के बावजूद भारत में धार्मिक बहुलता तथा संघीय ढांचे के तहत महिलाओं के संपत्ति में पूर्ण हकदारी अधिकारों के लिए उन्हें एक लंबे समय से चुनौतियों को झेलना पड़ रहा है। स्त्रियों के प्रति धार्मिक विभेदीकृत व्यवहार में उत्तराधिकार के संबंध में स्त्रियों को बहुत मामूली अधिकार प्राप्त है। एक तरफ भारतीय संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों लैंगिक समानता व न्याय पर आधारित महिलाओं के समान अधिकार का प्रावधान करता है तथा दूसरी तरफ संविधान में पंथनिरपेक्ष तथा धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधानों को भी रखता है। किंतु संपत्ति उत्तराधिकार के संबंध में यह द्वन्द उत्पन्न हो

जाता है कि महिला संपत्ति उत्तराधिकार विभिन्न धार्मिक समुदाय से जुड़ा उनके निजी कानूनों के क्षेत्र का एक हिस्सा है और इस दायरे में सरकार भारतीय संवैधानिक प्रावधानों के तहत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस संदर्भ में भारतीय राज्य द्वारा संवैधानिक लैंगिक समानता तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए राज्य ने दो तरीकों पर बल दिया। प्रथम, राज्य तथा पंथ के मध्य पृथकता के सिद्धांत का समर्थन करते हुए तथा लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए सभी धर्मों के निजी कानूनों के संहिताबद्ध तरीकों पर विचार किया गया। धार्मिक कानूनों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने हेतु भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिकता का प्रावधान रखा गया है।

भारतीय राज्य द्वारा जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों को यह आदेश दिया गया है कि वह अपने–अपने राज्यों में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25–28 में सभी धर्मों के समान संरक्षण सिद्धांत के मार्ग प्रशस्तीकरण मे, धार्मिक बहुलता को बनाए रखते हुए निजी कानूनों में सुधारों के साथ उनकी प्रामाणिकता को भी सुनिश्चित किया गया। यह दोनों ही मार्ग भारतीय पंथनिरपेक्षता के उन दो सिद्धांतों की ओर संकेत करते हैं जो भारतीय पंथनिरपेक्षता के स्तंभ है। तथा दूसरी तरफ एक समान नागरिक संहिता के तहत हिंदू कोड बिल जैसे कानूनों को भी लागू किया गया। इस प्रकार समान नागरिक संहिता और किसी कानून के मध्य संतुलन बनाने की आवश्यकता है, पर जोर दिया गया है।

यद्यपि एक समान नागरिक संहिता के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति संघर्ष के दौरान सबसे पहले महिलाओं ने दृढ़तापूर्वक एक समान नागरिक संहिता की मांग की। एक समान नागरिक संहिता पर आधारित दो पहलू महत्वपूर्ण हैं एक, समुदायों के बीच एकरूपता हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों आदि सब के लिए एक कानून और दूसरा समुदायों के भीतर स्त्री और पुरुष के बीच लैंगिक–न्याय पर आधारित एकरूपता। नेहरू ने अपने शासनकाल में निजी कानूनों को संहिताबद्ध करने हेतु प्राथमिकता पर रखा। वही सन 1941 में सर बी एन राव की अध्यक्षता में राव कमेटी का गठन उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, भरण–पोषण, संयुक्त परिवार की संपत्ति, विरासत और दत्तक विषय पर एक संहिता बनाने का प्रारूप तैयार किया गया जिसे हिंदू कोड बिल का नाम दिया गया।

निजी कानूनों से संबंधित अन्य अधिकारों के साथ महिलाओं के संपत्ति में एक समान अधिकारों को भी शामिल किया गया। तथा जाति व धर्म आधारित असमानताओं को तिलांजलि देते हुए कमेटी के चेयर पर्सन डॉक्टर अंबेडकर ने 12 अगस्त 1948 में हिंदू कोड बिल पर संशोधन कर एक प्रारूप तैयार किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल को सभी धर्मों पर लागू करने का विचार किया। किंतु संविधान सभा के भीतर तथा बहार से एक समान स्वर में समान संहिता के विरूद्ध धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों दोनों तरफ के विरोधों को देखते हुए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार सभी धर्मों के निजी कानूनों को संहिताबद्ध करने का विचार सार्थक न हो सका। कुछ समय पश्चात हिन्दू कोड बिल से मुस्लिम, इसाई व पारसी अल्पसंख्यकों को बाहर रखते हुए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम

1956 में उस व्यक्ति को हिंदू माना गया है जो हिंदू धर्म के किसी भी रुप जैसे वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज को मानता हो। बौद्ध, जैन, सिख भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। इस अधिनियम के पास होने से पूर्व भारतीय हिंदू समाज में उत्तराधिकार के संबंध में मुख्यता दो आधार थे प्रथम मिताक्षरा और दूसरा दयाभाग प्रचलित था। इस अधिनियम के लागू होते ही मिताक्षरा और दयाभाग के नियम समाप्त कर दिए गए।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कई बड़ी कमी भी है जैसे अधिनियम कृषि क्षेत्र की भूमि को राज्य सरकार के अधीन मानकर कृषि क्षेत्र के विषय में मौन था। इसके साथ ही यह संयुक्त परिवार की संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित नहीं करता था। हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956 में महिलाओं के पूर्ण अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक पारित किया गया। पूरे 5 दशकों के संघर्ष के पश्चात् स्त्रियों को संयुक्त परिवार की संपत्ति में एक समान उतराधिकार तथा कृषि क्षेत्र में महिलाओं के एक समान उत्तराधिकारों को हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक 2005 के माध्यम से लागू कर दिया गया।

आज भी हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 तथा हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 में परिवर्तनों के बावजूद हरियाणा के संदर्भ में यह अधिकार अप्रवेशी बना हुआ हैं। कृषि भूमि के संदर्भ में, इन परिवर्तनों के होते हुए भी उत्तराधिकार से संबंधित पूर्व कानून ज्यों के त्यों बने हुए हैं। यह परिवर्तन हरियाणा के पारंपरिक कानूनों तथा राज्य के कानूनों को प्रभावित करते हैं। इस तरह से विधानमंडल द्वारा लागू कानून महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में पूर्ण अधिकारी कानून का प्राप्त करवाने में असफल सिद्ध हुए हैं।

औपनिवेशिक शासन में भी पंजाब तथा हरियाणा के लोगों ने हिंदू कानूनों द्वारा शासित न होने का निर्णय लिया था। इन दोनों क्षेत्रों के लोग कृषि क्षेत्र भूमि में अपने पारंपरिक कानूनों द्वारा शासित होना चाहते थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान सरकार ने बिना आपत्ति किए तथा उदार व्यवहार के साथ इन क्षेत्रों के पारंपरिक कानूनों को संहिताबद्ध कर दिया। हरियाणा के संदर्भ में आज भी पारंपरिक कानूनों के जरिए कृषि भूमि को बेचने का सौदा पैत्रक आधार पर ही निर्धारित होता है तथा उत्तराधिकार में अविवाहित तथा विवाहित दोनों ही पुत्रियों को इससे बाहर रखा जाता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों के पारंपरिक कानूनों को किए बिना रद्द किए हिंदू कानूनों में समय के साथ–साथ हुए परिवर्तनों को यहाँ लागू नहीं किया जा सका है।

इस संबंध में व्यवस्थापिका हिंदू उत्तराधिकार 1956 तथा पुनः 2005 में इसमें संशोधन के प्रावधानों को महिलाओं के पूर्ण अधिकृत अधिकारों के रूप में कृषि भूमि के अंतर्गत इन क्षेत्रों में सही रूप से व्याख्या नहीं कर सकी है। इसके साथ ही संविधान के अंदर 'शक्तियों के बंटवारे' में राज्य के कानूनों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और गंभीर विचार–विमर्श के बिना व्यवस्थापिका द्वारा 'परिवर्तन' संविधानों के मूलभूत अधिकारों तथा सिधान्तों में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। अतः व्यवस्थापिका संविधान के संघीय ढांचे की भी अवहेलना कर रही है। संपत्ति के पूर्ण अधिकृत कानून कृषि क्षेत्र के

अंतर्गत एक नए विचार–विमर्श को जन्म देते हैं। जिसमें महिलाओं के पूर्ण संपत्ति अधिकारों को लेकर एक गंभीर विमर्श को शुरु किया जाना चाहिए ताकि एक समान लैंगिक उत्तराधिकारों के सिद्धांतों को व्यवहारिक धरातल पर सुनिश्चित किया जा सके।

इस स्वप्न को साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज में लैंगिक समानता तथा धार्मिक बहुलता को ध्यान में रखते हुए आगे अग्रसर हुआ जाए। तथा इसके लिए राज्य, संसद, न्यायपालिका तथा सभी वैचारिक समूहों को अपना ध्यान तथा ऊर्जा आज बीच बहस में चल रहे तीन तलाक़ जैसी समस्याओं के जड़ से निदान को खोजना होगा एवं इसके लिए महिलाओं के उनके पैतृक सम्पति में मूल आर्थिक अधिकारों से शुरुआत करते हुए अन्य विवाह, तीन तलाक़, तथा तलाक़ के पश्चात् आर्थिक भरण–पोषण जैसी समस्याओं को देखना होगा तथा इन समस्याओं के निदान के लिए पैतृक सम्पति ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए शिक्षा भी उनके आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमान सरकार के लक्ष्य में भी झलकती है 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'।

♦♦♦♦♦

10

तीन तलाक एवं मुस्लिम समाज सुधार

अमृता सोनी

सहायक प्राध्यापक (विधि), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ (ब्यावरा) म.प्र.

मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय "तीन तलाक" वर्तमान में विचार का विषय बना हैं। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में तीन तलाक पर रोक लगा दी गयी हैं, साथ ही उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को अगले छह माह में तीन तलाक पर कानून बनाये जाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही, न्यायालय ने यह आकांक्षा रखी हैं कि केन्द्र सरकार जो विधि का निर्माण करेगा उसमें मुस्लिम संगठनों और शरिया कानून का ख्याल रखा जाएगा।

"मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019" [THE MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) ACT,2019] 31 जुलाई 2019 को पारित किया गया हैं। अधिनियम तलाक कहने को, लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप में शामिल हैं, कानूनी रूप से अमान्य और अवैधानिक बनाता हैं। यह एक संज्ञेय अपराध (पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है) हैं। जिसके परिणाम स्वरूप तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना एवं महिला हेतू भरण–पोषण का प्रावधान हैं।

तीन तलाक पर राज्यसभा की मुहर लगना समाज सुधार की दिशा में एक बड़ी पहल हैं। तीन तलाक की कुप्रथा उन सामाजिक बुराइयों में से है, जो महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक साबित करती हैं। क्या ऐसी कोई प्रथा धर्मसम्मत कही जा सकती है जो पत्नी को एक झटके में छोड़ने का अधिकार देती हो। तीन तलाक की बुराई के चलन में होने के कारण मुस्लिम महिलाऐं अपने वैवाहिक भविष्य को लेकर आशंका से घिरी रहती थी। इससे भी खराब बात यह थी कि उन्हें एक झटके में तीन तलाक दे दिया जाता था तो वे एक तरह से सड़क पर आ जाती थी। इस हालत में उन्हें मुश्किल से ही कोई मदद मिलती थी।

क्या है तीन तलाक– इस्लाम में तलाक के कई तरीके है, इनमें अहसन, हसन और तलाक–ए–बिद्दत (तीन तलाक) शामिल हैं, अहसन और हसन से पीछे हटा जा सकता है, वही तलाक–ए–बिद्दत से मुकरने की गुंजाइश नहीं है। अर्थात एक बार पति पत्नी से तीन बार तलाक बोल देता है तो वह उससे पलट नहीं सकता हैं। तलाक–ए–बिद्दत के तहत जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी को एक बार में तीन तलाक दे देता है या फोन, मेल, मैसेज या पत्र आदि के जरिए तीन तलाक दे देता है तो तुरंत तलाक हो जाता हैं। इसे निरस्त नहीं किया जा सकता हैं। तीन तलाक जिसे तलाक–ए–बिद्दत, तत्काल तलाक और

तलाक–ए–मुघलाजाह (अविचल तलाक) के रूप में भी जाना जाता हैं, इस्लामी तलाक का एक रूप है जिसे भारत में मुसलमानों द्वारा इस्तेमाल किया गया है।

पहले अरब देशों में महिलाओं की दशा बहुत खराब थी। वे गुलामों की तरह खरीदी बेची जाती थीं। तलाक भी कई तरह के हुआ करते थे, जिसमें महिलाओं को अधिकार न के बराबर होते थे। इस दयनीय स्थिति में पैगम्बर हजरत मोहम्मद सब खत्म कराकर तलाक–ए–अहसन लाए।

कई देशों जैसे– ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मलेशिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, लीबिया, सूडान, सऊदी अरब, में तीन तलाक पर प्रतिबंध है। यहाँ तक कि पडोसी मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी तीन तलाक निषेध हैं।

उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न धर्मों के न्यायाधीश पैनल द्वारा सुनवाई की और परिणाम सबके समक्ष हैं। 22 अगस्त 2017 को 5 न्यायाधीशों की बेंच में 3:2 के बहुमत से निर्णय लिया गया। तीन तलाक को असंवैधानिक बताते हुए इस बेंच ने तीन तलाक पर तत्काल प्रभाव से 6 माह का प्रतिबंध लगाया, साथ ही केन्द्र सरकार को इस पर कानून बनाने का आदेश भी दिया हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2017 में तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात देश भर से 201 मामलों की सूचना प्राप्त हुई, साथ ही जनवरी 2017 के बाद से इस संबंध में 430 मामलों के दर्ज होने की सूचना मिली है।

तीन तलाक पर प्रतिबंध मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं। तीन तलाक, हलाला और बहु–विवाह जैसी समस्याओं से मुस्लिम महिलाओं पर अधिक अत्याचार हो रहे थे, जिनसे उभर पाने की एक सकारात्मक उम्मीद हैं। हाँलाकि न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि हलाला और बहु–विवाह पर अलग से सुनवाई की जाएगी। मुस्लिम महिलाऐं जहाँ तीन तलाक पर पूर्ण प्रतिबंध चाहती थी, वही मुस्लिम लॉ बोर्ड तीन तलाक को इस्लामिक मान्यताओं का एक आवश्यक अंग मानते हुऐ इसे बनाए रखना चाहते थे, किन्तु न्यायालय ने कहा कि तीन तलाक की यह प्रथा कुरान के मूल सिद्धांत के विरूद्ध है, साथ ही न्यायालय ने कहा कि तीन तलाक के माध्यम से विवाह–विच्छेद करने की प्रथा मनमानी है और इससे संविधान का उल्लंघन होता हैं, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

1400 वर्ष पुरानी प्रथा के समाप्त होने के साथ हम न्याय के मूल स्वरूप में लौट आये हैं जो हजरत मोहम्मद साहब के दौर में प्रचलित था। देश की स्वतंत्रता के बाद से ही जब भी सरकारों की ओर से समाज में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त करने की पहल हुई तो कमोवेश हर बात का विरोध हुआ हैं। विरोध के पीछे कभी समाज के अहित की आड़ ली गई, तो कभी धर्म, तो कभी जाति की, लेकिन गुज़रते समय के साथ सामाजिक परिवर्तन के परिणामों से विरोध के मुखर स्वर धीमें पडते गये। तो क्या तलाक–ए–बिद्दत के विरोध में बन रहें कड़े कानून का विरोध भी उसी कड़ी का हिस्सा हैं, तीन

तलाक को असंवैधानिक बताने वाला न्यायालय का निर्णय, और सरकार की ओर से इसके विरूद्ध कठोर कानून बनाने के गंभीर प्रयास भी सामाजिक सुधारों की दिशा में एक ओर कदम हैं।

तीन तलाक मुद्दे पर अध्यादेश लाना एक वैधानिक सुधार है, जो सामाजिक सुधारों का एक छोटा सा हिस्सा है। अतः, कोई भी सामाजिक बदलाव एक व्यापक प्रकिया से गुज़रने के बाद ही होता है। इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि तीन तलाक के लिए तुरंत कानून बनाये जाने की आवश्यकता है, किंतु इसके लिए सामाजिक सहयोग की भी आवश्यकता हैं। यह उम्मीद की जाती है कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक के कानून बन जाने के बाद तत्काल तीन तलाक के मामले रूकेंगे।

ऐसा हो इसके लिए मुस्लिम युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि कोई समाज तभी आगे बढ़ता है जब महिलाओं को मान–सम्मान मिलता हैं। इस कुप्रथा पर कानून बनने से इस दिशा में हो रहे अपराधों में निश्चित तौर पर कमी आएगी, लेकिन तीन तलाक जैसी सामाजिक कुप्रथाओं को जड़ से समाप्त करने के लिए समाज को जाति धर्म का चश्मा उतारकर मानवता की दृष्टि से देखना होगा, जिससे भारतवर्ष सही अर्थों में प्रगति की ओर अग्रसर होगा।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली-110007